



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19123 वर्ष 2025

सतवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	: दिनेश राय, सुभाष चंद्र पांडे
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश राय और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने अभिकथन किया है कि उन्हें अनुदेशों की पूरी जानकारी है और वे मामले पर तर्क करने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का निर्णय अभिलेख में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका को आरंभिक स्तर पर निर्णीत किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर 01.10.1984 को हुई थी। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो 07.07.1985 को पूरा हुआ। रिट याचिकाकर्ता को 07.07.1985 को 364/- रुपये स्वीकृत किए गए थे, चयन ग्रेड 01.03.1995 को प्रदान किया गया था और उन्हें 19 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा का लाभ दिया गया था। हालांकि, प्रतिवादियों के अनुसार, कुछ आपत्तियां थीं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लखनऊ के सहायक लेखा अधिकारी ने 30.10.2024 को पुलिस अधीक्षक, रामपुर को एक पत्र जारी किया और उसके बाद रिट याचिकाकर्ता को 25.07.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब रिट याचिकाकर्ता ने 03.08.2024 को दिया। कारण बताओ नोटिस में, याचिकाकर्ता से कारण बताओ नोटिस में यह पूछा गया था कि वसूली क्यों न की जाए और पुनर्निर्धारण क्यों न किया जाए, क्योंकि इसमें त्रुटि थी और उसके बाद अब आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2024 और 12.12.2024 पारित किए गए, जिसके अंतर्गत पुनर्निर्धारण और वसूली करने का निर्देश दिया गया है।

5. इन दोनों आदेशों को प्रश्नगत करते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेशों को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को 25.07.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ता से सात दिनों के भीतर यह बताने को कहा गया था कि वसूली और पुनर्निर्धारण क्यों न किया जाए, जिसका जवाब रिट याचिकाकर्ता ने 03.08.2024 को दिया था। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाई गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है और न ही उस पर कोई कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, नियोक्ता के पास त्रुटियों को सुधारने का हमेशा अधिकार होता है, लेकिन उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता के जवाब पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है। उनके अनुसार, आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाए और मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाए।

8. अधिवक्ताओं की ओर से ऐसी प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि वेतनमान और वसूली के गलत निर्धारण के संबंध में रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि उठाए गए तर्कों और आपत्तियों पर विचार किया गया है। इसलिए, आक्षेपित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है। अतः, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:

(ए) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के सहायक लेखाधिकारी (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा दिनांक 30.10.2024 को पारित आदेश और पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर /क्षेत्रीय



अधिकारी कार्यालय रामपुर/ प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

(बी) एक नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु मामले को पुनः प्राधिकारी को भेज दिया गया है।

(सी) इस स्तर पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने निवेदन किया कि ये आदेश दो महीने की अवधि के भीतर पारित किए जाएंगे।

10. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)